पत्रांक– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019......................

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफ़ाक़ अहमद फैज़ी
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांकः– ....

विषयः– प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जिला पश्चिम चम्पारण के प्रखण्ड सिकटा में स्वीकृत योजना– **Construction of Additional Primary Health Centre (APHC) at Jagnathpur** के क्रियान्वयन हेतु विशेष राज्यांश मद में ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र की राशि का आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंगः– महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक– 9987, दिनांक– 24.01.2025

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अन्तर्गत 14वीं प्राधिकृत समिति में जिला पश्चिम चम्पारण के प्रखण्ड सिकटा में परियोजना– Construction of Additional Primary Health Centre (APHC) at Jagnathpur के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कार्यकारी एजेंसी – बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना है। कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, जगन्नाथपुर, प्रखण्ड–सिकटा, के भवन निर्माण का ₹146.428 (एक करोड़ छियालीस लाख बयालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र का पुनरीक्षण प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए शेष राशि ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं०–6439, दिनांक–28.08.2018 के आलोक में अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत तक पर सहमति प्रदान करते हुए अंतर राशि (₹146.428 लाख – ₹124.31 लाख = ₹22.118 लाख) ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र विशेष राज्यांश मद से दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न तालिका के स्तंभ 11 के अनुरूप राशि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रूपये में)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	अनुपात	इकाई	इकाई लागत	कुल लागत	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	पुनरीक्षण के उपरान्त परियोजना की कुल लागत राशि	मूल लागत राशि में वृद्धि का प्रतिशत	विशेष राज्यांश के रूप में आवंटन हेतु स्वीकृत अन्तर राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9-6)
पश्चिम चम्पारण का प्रखण्ड सिकटा	Construction of Additiona PHC at Jagnathpur	60:40	01	124.31	124.31	74.586	49.724	146.428	17.79	**22.118**

02. उक्त राशि की निकासी मांग संख्या 30 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051–निर्माण, उपशीर्ष 0308–अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम–विशेष राज्यांश, विपत्र कोड–30–4250000510308, विस्तृत शीर्ष 53– मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष–01 मुख्य निर्माण कार्य पी०एफ०एम०एस० कोड– 3674 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विशेष राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकलनीय है।

03. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– MsDP-21/17/2021-MsDP-MOMA, दिनांक–29.04.2022 के साथ संलग्न वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयी ज्ञापांक– F.No. 1(13)PFMS/FCD/2020, दिनांक– 23.03.2022 के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राशि का कोष प्रवाह/व्यय Single Nodal Account के माध्यम से किया जाना है।

04. उक्तालोक में स्वीकृत अतिरिक्त राशि (विशेष राज्यांश मद में) ₹22.118 लाख की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में की जायेगी एवं सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक–7111 दिनांक–28.07.2022 के आलोक में CFMS अन्तर्गत Bill Description- Fully Vouched Contigent Bill एवं Claim Type- Transfer to SNA द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम– PMJVK के संचालन हेतु खोली गयी Single Nodal Account (Pay ID- PT0075286-413501000406-ICIC0004135) में कोषागार विपत्र– 25 के माध्यम से अंतरण करेंगे।

05. State Scheme Manager, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Scheme Code- BR149) द्वारा Single Nodal Agency (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना Agency Unique Code- BRPA00009367 & Code- BR149) को उक्त विशेष राज्यांश की राशि ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र की अधिसीमा (Limit), निर्धारित करेंगे। तदुपरान्त Single Nodal Agency, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, कार्यकारी एजेन्सी– बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) को PFMS के माध्यम से उक्त विशेष राज्यांश ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र की अधिसीमा (Limit) निर्धारित करेंगे। कार्यकारी एजेन्सी– बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) द्वारा विशेष राज्यांश ₹22.118 लाख (बाईस लाख ग्यारह हजार एवं आठ सौ) मात्र का इस परियोजना में उपयोग किया जायेगा।

06. कार्यकारी एजेन्सी– बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विषयांकित योजना का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

07. योजनांतर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपेक्षित होगा।

08. स्वीकृत एवं आवंटित राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

09. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

11. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा।

12. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019 के पृष्ठ 71/टि० पर प्राप्त है।

13. उपर्युक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– State Scheme Manager, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम– सह–Single Nodal Agency–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय प्रमुख, संस्थागत व्यापार समूह, ICICI बैंक लिमिटेड, पटना– 800001/शाखा प्रबंधक, शाखा दुजरा, पटना, ICICI बैंक लिमिटेड, श्रीराज कॉम्पलैक्स, 117A, अशोक राजपथ, दुजरा, पटना– 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/उप निदेशक, अ०क०, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019.../ पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–07–ग–एम०–15/2019 107 ..../ पटना–15, दिनांक 20.05.2025

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव–सह–निदेशक